न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

पत्र. संख्या ::– 59/2020

तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कार्यालय, बेगूँ

श्री मनोज पिता पन्नालाल धाकड निवासी अनोपपुरा बनाम प्रार्थी
ग्राम पंचायत अनोपपुरा तह0 बेगूँ

उपस्थित ::– श्री तहसीलदार, बेगूँ
पेरोकार सरकार

विपक्षी

आदेश दिनांक ::– 03.10.2023

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय

प्रार्थी तहसीलदार बेगूँ की ओर से प्रार्थना पत्र अ.धा. 84–86 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प0ह0 अनोपपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम अनोपपुरा प0ह0 अनोपपुरा की खसरा संख्या 652/48 रकबा 0.8410 हैक्टर किस्म बा.च. खातेदार श्री पन्नालाल पिता भवाना धाकड के नराम दर्ज रिकोर्ड है एवं खसरा संख्या 653/46 रकबा 0.8580 हैक्टर किस्म वा.च. जो कि वर्तमान रेकार्ड के अनुसार खातेदार श्री गोपाल लाल गीताबाई उमाबाई ब्रहमाबाई पिता अमरचन्द्र केशरबाई पत्नि स्व. अमरचन्द्र धाकड निवासी अनोपपुरा के ना मदर्ज रिकोर्ड है।

यह कि पटवार हल्का अनोपपुरा द्वारा एक रिपोर्ट इस कार्यालय में इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम अनोपपुरा की उक्त वर्णित खसरा संख्या 652/46 रकबा 0.8410 हैक्टर व खसरा संख्या 653/46 रकबा 0.8580 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 1.699 हैक्टर किस्म बा.च. भूमि में खैर वृक्ष की कटी हुई जो कि 25 (छोटे बडे) वृक्ष जिसका अनुमानित गीली लकडी का वनज 19.60 क्विन्टल लकडी पडी हुई पाई गई, जिसको जप्मत की जाकर क्षैत्रिय वन अधिकारी बेगूँ को सिपुर्द की गई । रिपोर्ट पटवारी में अंकित है।

यह कि उक्त लकडी काटने के लिए खातेदार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति इस कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84–86 के अन्तर्गत बिना स्वीकृती पेड काटना अवैध होने से प्रकरण उक्त धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र तहसीलदार बेगूँ, रिपोर्ट पटवारी हल्का अनोपपुरा, पचौमौका रिपोर्ट, सुपुर्दगीनामा, नक्शाट्रेस व नकल जमाबंदी संलग्न प्राप्त हुई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में सभी गैरसायल विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होकर एक लिखित जावाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरणवार कालम संख्या 1 से 3 सही होकर स्वीकार है तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि भूमि सुधार की आवश्यकता होने से भूमि सुधार का कार्य किया गया है एवं कि विपक्षीगण द्वारा भूमि की विपक्षीगण अनपढ व कानून की जानकारी नहीं होने से 25 (छोटे बडे) वृक्ष काटे गए। ली गई है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमाया जावें। अज्ञानतावश भूमि सुधार की स्वीकृति नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में जवाब विपक्षीगण का प्रस्तुत होने के पश्चात जप्तशुदा लकडी के छोटे बडे 25 वृक्ष जिनका वनज कुल 19.60 क्विन्टल है को नियमानुसार नीलाम करने हेतु तहसीलदार बेगूँको पत्र लिखा गया जिसकी पालना में नीलामी इश्तिहार अनुसार ,नीलामी लाटबंदी में सर्वाधिक बोली 21,200/– रूप्ये की बोलीदार श्री आजाद पिता रहीमशाह मुसलमान निवासी बेगूँ की रही, जिसकी स्वीकृति न्यायालय द्वारा जारी कर बोलीदार से राशि वसूल कर राजकोष में — दिये गये।

चूंकि पत्रावली में गैरसायलान विपक्षीगण द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि से खैर के क्ष छोटे बडे काटे जाने की बात को सही बताया गया है, जिनका वनज 19.60 क्विन्टल था नकी नीलामी भी की जा चुकी है, विपक्षीगण द्वारा अज्ञानता वश अपनी कृषि भूमि से बिना सक्षम ीकृति वृक्ष काटे जाने के अपराध को स्वीकार किया है। जिससे विपक्षीगण पर बिना सक्षम स्वीकृति लकडी काटे जाने का अपराध सिद्ध होकर जुर्माने से उन्हे दण्डित किये जाने का अपराध सिद्ध होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 84—86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा अनोपपुरा प0ह0 अनोपपुरा की कृषि आराजी संख्या 652/46 रकबा 0.8410 हैक्टर व खसरा संख्या 653/46 रकबा 0.8580 हैक्टर कुल किता—2 कुल रकबा 1.699 हैक्टर किस्म बा.च. भूमि में खैर के कुल 25 वृक्ष बिना सक्षम स्वीकृति गैरसायल विपक्षीगण श्री पन्नालाल पिता भुवाना धाकड, श्री गोपाललाल, गीताबाई, उमाबाई व ब्रम्हाबाई पिता अमरचन्द्र, केशरबाई पत्नि स्व. अमरचन्द्र धाकड द्वारा काटे जाने पर इन सभी विपक्षीगण पर 100/— प्रतिवृक्ष के हिसाब 25 वृक्षो की जुर्माना राशि कुल 2500/— अक्षरे रूपये दौ हजार पॉच सौ के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। तथा तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त जुर्माना राशि इन सभी विपक्षीगण से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। साथ ही लकडी नीलामी की राशि 21,200/— का राजकोष में जमा करावें । इन राशियों के जमा होने का अंकन तहसील राजस्व लेखाकार की शाखा में नियमानुसार करवाते हुए न्यायालय की पत्रावली में भी जमा का अंकन किया जावें।

आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.10.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2023/452
दिनांक ::— 20.10.23

प्रतिलिपि निर्णय की तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:50 IST
Reason: SelfAttested